

diversion.pdf

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग विजय नगर क्षेत्र



प्रकरण क्रमांक /53/अ-2/2015-16

अमर कृष्णा लिजर प्रायवेट लिमिटेड तर्फे
डायरेक्टर श्री मोहित पिता राजकुमार अरोरा
पता 6/5 मनोरमागंज इंदौर

.....आवेदक

—आदेश—

(पारित आदेश दिनांक 17/08/2016)

{ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत }
प्रकरण में आवेदक द्वारा ग्राम अरण्डिया तहसील इंदौर खसरा क्रमांक :-

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर में
अरण्डिया	196/1, 196/3, 211/1/1/1, 211/1/1/2, 192/1	1-851

PHOTO-COPY

प्रकरण में आवेदक अमर कृष्णा लिजर प्रायवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर श्री मोहित पिता राजकुमार अरोरा पता 6/5 मनोरमागंज इंदौर के द्वारा ग्राम अरण्डिया तहसील इंदौर स्थित खसरा नंबर 196/1, 196/3, 211/1/1/1, 211/1/1/2, 192/1 कुल रकबा 1.851 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अंतर्गत (व्यवसायिक) उपयोग हेतु व्यपर्तित करने के आशय से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के साथ खसरा, नकल, रजिस्ट्री की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

राजस्व अभिलेखों में आवेदक अमर कृष्णा लिजर प्रायवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर श्री मोहित पिता राजकुमार अरोरा पता 6/5 मनोरमागंज इंदौर का नाम भूमि स्वामी स्वत्व के रूप में अंकित होने पर प्रकरण में व्यपवर्तन की अनुज्ञा जारी किये जाने पर प्रश्न पर संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर विकास प्राधिकारी इंदौर को अनापत्ति प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
विजय नगर क्षेत्र, जिला-इंदौर



अधीक्षक भूमि परिवर्तन/राजस्व निरीक्षक भूमि परिवर्तन से प्रकरण में आवेदित भूमि की जांच कर प्रतिवेदन लिया गया। अधीक्षक भूमि परिवर्तन/राजस्व निरीक्षक भूमि परिवर्तन द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया कि:-

